

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर
क्रमांक:- एफ.3 (ख) (1) ()/अलेरो-11/ 15875-85

दिनांक :- 23/9/13

आदेश संख्या 241 / 2013-14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंसानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों के पुलिस वेरीफिकेशन कार्यवाही पूर्ण होने एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र विभाग में उपलब्ध कराने के उपरान्त एतद् द्वारा राजस्थान अधीनरथ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपरिथिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 13050/- (तेरह हजार पचास रुपये मात्र) प्रति माह के रथाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपरिथिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग/कार्यालय में दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक कार्यालय समय में उपस्थित होकर कार्यारम्भ रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

क्र. रा.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	130	202362	नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री डालवन्द, 87, रोज विला, सारस वौराहे के पास, भरतपुर- 321001	10-07-1970	भरतपुर	OBC	उपकोषालय रेलमगरा जिला राजसमन्द	रिक्त पद पर
2.	227	302111	मनोज मेहरा पुत्र श्री बच्छराज मेहरा, रानी बाजार इंडस्ट्रीयल एरिया, रोड न. 5 नीलकण्ठ कॉलोनी, सिने मेजिक से आगे, केम स्कूल के पास, बीकानेर- 334001	14-08-1988	बीकानेर	OBC	उपकोषालय आसपुर जिला झूंगरपुर	रिक्त पद पर
3.	388	601523	मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री लहरीलाल मीणा, ढापी राकला, ग्राम हुरेला, पोर्ट धर्मपुरा, वाया बासखो, तहसील जगवारामगढ जिला जयपुर- 303305	14-07-1987	जयपुर	ST	उपकोषालय गढी जिला बांसवाडा	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यर्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही है:-

- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा रामय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निवन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, री.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण पत्र की शर्त पर है।
- अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपरिथिति देते समय दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र/वॉण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
- अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वारथ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में राक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वारथ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपरिथिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपरिथिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

10. उक्त नियुक्तियों माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते रागय अभ्यर्थी अपने गेरिट कमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Chh

(वीरबाला जोशी)

निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/ 15875-85

दिनांक :- 23/9/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्थ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला गुरुख चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

4. श्री..... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम राख्या 8 में दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक कार्यालय समय में आवश्यक रूप से उपस्थित होकर कार्यारभ्म रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा।
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

Shw
(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
कोष एवं लेखा विभाग

न.ड.